न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या 60/18 (RCMS No. 2017/00068) राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995

राहुल पुत्र खलील जाति मुसलमान निवासी अछनेरा तहसील किरावली थाना अछनेरा जिला आगरा

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार ए.पी.पी. भरतपुर

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर
भरतपुर दिनांक 08.03.2018

उपस्थिति :–

1. श्री मंजीत सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय **दिनांकः 23.03.2018**

यह अपील राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी जप्त दस गायों को सुपुर्दगी में दिये जाने, जुर्म दफा 5, 6, 8 गौवंश अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पर जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/ अपीलान्ट ने सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट दस गायें सफेद, काली जर्सी होनीसन का मालिक है, जिन्हें वह अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। जप्त गायें पुलिस के कब्जे में हैं, गायों के भागने का अन्देशा है। अदालत जब भी गायों को तलब करेगी। अपीलान्ट हाजिर अदालत करेगा तथा न्यायालय जो भी आदेश देगा उसकी पालना प्रार्थी/अपीलान्ट करेगा। अतः जप्त गायों को प्रार्थी/अपीलान्ट की सुपुर्दगी में दिलायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रार्थी एक ट्रक में चोरी छिपे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ले जाते हुऐ पकडा है। उन गाय बछड़ों को एसडीएम नदबई के आदेश से गढ़ी सांवलदास गौशाला में भिजवाया गया है। प्रार्थी ने सुपुर्दगारान द्वारा गौवंश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजिट कर ले जाने के लिये गोवंश अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र स्वीकृति

प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी दिनांक 08.03.18 को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि जप्त शुदा दस गायें व दो बछड़े सीाी विदेशी किस्म की हैं और दूध देने वाली दुधारू गायें है। जिनको प्रार्थी अपने घरेलू दूध के उत्पाद डेयरी उत्पाद हेतु काम में लेता है। उक्त गायों को प्रार्थी दुगध उत्पादन हेतु पशु पैठ/मेला फिरोजाबाद उ.प्र. से खरीद कर जरिये रसीद सं0 30254 से 30260, 20071 से 20073 के द्वारा जयपुर राजस्थान ले जा रहा था थाना नदवई की पुलिस ने जबरन रोकरकर बिना किसी कारण के सभी गायों को प्रार्थी के कब्जे से लेकर घडी सांवलदास गौशाला के लिये सुपुर्द कर रखा है जहॉ पर उक्त गाये असुरक्षित हैं। गायें दूध देनी वाजली है जिनको वहां पर उचित वातावरण न मिलने की सूरत में वह मर सकती है। अपीलान्ट उक्त गायों को प्रार्थी ही अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण करने का हकधारी है। अपीलान्ट इसके लिये अन्डरटेकिंग देने को तैयार है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में गोय बछड़ों के रंगीन फोटोज व रखरीदशुदा रसीदों की कापी पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट को उससे जप्त शुदा दस विदेशी नस्ल की गायें एवं दो बछड़ों को अपीलान्ट की सुपुर्दगी में दिलायी जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि अपीलाधीन आदेश विधिवत् पारित किया गया है। थानाधिकारी नदबई की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.02.18 को 10 गायों को एक ट्रक नम्बर आर.जे. 05 जी.बी. 8786 में ठूस ठूस कर चोरी छिपे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ले जाते हुऐ जुर्म धारा 5, 6 व 8 गौवंश अधिनियम व 11 डी पश ु क्रूरता अधिनियम के तहत पकड़ा गया है तथा मु0 नं0 119/18 दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जप्त 10 गाय व दो बछड़ों को एसडीएम नदबई के आदेश से गढ़ी सांवलदास गौशाला में भिजवा दिया है। अपीलान्ट ने एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र पेश कर उनकी दस गायें सफेद, काली जर्सी होनीसन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि जप्त गायें पुलिस के कब्जे में हैं, गायों के भागने का अन्देशा है। अदालत जब भी गायों को तलब करेगी। अपीलान्ट हाजिर अदालत करेगा तथा न्यायालय जो भी आदेश देगा उसकी पालना अपीलान्ट करेगा। अतः जप्त गायों को अपीलान्ट की सुपुर्दगी में दिलायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रार्थी एक ट्रक में चोरी छिपे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ले जाते हुऐ पकडा है। गौवंश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजिट कर ले जाने के लिये गोवंश अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र स्वीकृति प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी दिनांक 08.03.18 को खारिज कर दिया। पत्रावली में

उपलब्ध एफ. आई. आर. रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने उक्त गायों को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करने पर किसी सक्षम अधिकारी का ट्रजिम प्रमाण नही लिया है। गायों को भी निर्दयता पूर्वक ठूसठूस कर ले जाने से धारा 5, 6, 8 गौवंश अधिनियम व 11 डी पशु क्रुरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। अपीलान्ट को इस अधिनियम के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करने पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिये था, जो नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में गायों को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 08.03.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official